1/9/2017 Admit Card



Chaudhary Charan Singh University, Meerut

	PROV	ISIONAL ADMIT CARD (December-2016)		
Name of the Candidate : SHANKER DAS MIGLANI		ANI Father's Name : S N MIGLANI	Father's Name : S N MIGLANI	
Roll No. : R	RK605607147	Class: LL.B 3 Year-YEAR-1-SEM-1		
Enroll. No. : M16130450		Type: Post Graduate (PG) Regular		
Category: General (Unreserved)		Gender: MALE		
College Stu [607] RELIA	dying: ABLE INSTITUTE OF LAW MORTA	, DELHI-MEERUT ROAD, GHAZIABAD	141	
Examination Centre : [062] M.M. DEGREE COLLEGE, MODINAGAR, GHAZIABAD			S. J.	
Subjects: Law		नारायण प्रसार्		
		(Controller of Examinations)	Form # 66878	
Subject	Paper			
Law	Paper-1 : K-1001 Jurisprudence - I (Legal Theory)			

Law Paper-2: K-1002 Constitutional Law of India - I (Nature of the Constitution and Fundamental Rights) Law Paper-3: K-1003 Law of Torts Paper-4: K-1004 Law of Crimes - I (Indian Penal Code) Law Law Paper-5: K-1005 Contract - I (General Principles of Contract)

Note: Students should bring this Admit Card for appearing in examination. Students failing to bring this Admit Card shall not be allow ed to appear in the examination. **This Admit Card is provisional.** If 'FEE IS DUE', the candidate must pay the due fee to be eligible for appearing in examination. The result shall be declared subject to eligibility of the candidate.

परीक्षार्थी के लिये आवश्यक निर्देश

उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक

1. उत्तर पुस्तिको पर अपने अनुक्रमकि निम्नवित लिख - अनुक्रमकि - | R | K | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2. यदि परीक्षार्थी की फीटो अस्पष्ट / तृदियुक्त है, तो यह Admit Card किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा | 3. परीक्षार्थी को केंद्र के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों का सर्वथा अनुपालन करना होगा | 4. उत्तर पस्तिका पर आवरण पृष्ठ के निर्धारित कालम पर वाछित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायगा | 5. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सीर्थ बिना परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जा सकेगा | 6. परीक्षा किसी प्रकार की पाउप पुस्तक / सहायक पुस्तक / मोबाइल / कैनकुलेटर इत्यादि ले जाना वर्जित है | ऐसा पाए जाने पर केन्द्राध्यक्ष को परीक्षार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा | 7. परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे, परीक्षा बहिष्कार करने के कारण छूटी हुई परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा |